FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....

.....सत्यनारायण .....बनाम.....शान्ति देवी.....

मुकदमा.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 41 नियम 19 सीपीसी पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त उनवानी अपील न्यायालय हाजा में गोला बनाम बाबूलाल के नाम से विचाराधीन थी, जो कि दिनांक 27.09.16 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी। उक्त अपील प्रार्थी के पिता गोला द्वारा दायर की गयी थी। जिनका देहान्त सन् 2008 में हो गया। अपील की पैरोकारी प्रार्थी के पिता ही करते थे। प्रार्थी को उक्त अपील की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 20.05.2019 को घर पर रखें कागजो में प्रार्थी को इस अपील से संबंधित कागज मिले। जिस पर प्रार्थी ने भरतपुर अभिभाषक से सम्पर्क किया तब अभिभाषक ने बताया कि उक्त अपील दिनांक 27.09.2016 को अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। जिस पर प्रार्थी ने नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील के अदम हाजरी में खारिज होने से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहें हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। वकील रैस्पो0 का कथन है कि प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु सन् 2008 में होना बताता है। अपील सन् 2016 में अदम हाजरी में खारिज हुयी। अर्थात मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में 8 साल विचाराधीन रही। इस प्रकार अपील स्वतः ही अवैट हो जाती है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भी 03 साल बाद प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी को प्रत्येक दिन का विलम्ब बताया आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील गोला बनाम बाबूलाल के नाम से न्यायालय हाजा में विचाराधीन थी, जो दिनांक 27.09.16 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उक्त अपील की पैरवी प्रार्थी के पिता गोला करते थे। जिनका देहान्त सन् 2008 में हो गया। उक्त अपील की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। दिनांक 20.05.2019 को घर पर रखें कागजो में प्रार्थी को इस अपील से संबंधित दस्तावेज मिले।	

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

तत्पश्चात् उक्त अपील की जानकारी हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र 41 नियम 19 सीपीसी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी उक्त अपील को पुनः रिस्टोर करते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित कराना चाहता है। क्योंकि प्रार्थी के विवादित आराजी में हित प्रभावित हो रहे हैं। हम पाते हैं कि मूल अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 20.09.1993 को दर्ज रजिस्टर हुयी, जो दिनांक 24.02.1996 को वकील अपीलाण्ट एवं स्वयं अपीलाण्ट को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी में खारिज हुयी। जिसे पुनः रिस्टोर कराने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजवा संख्या 32/96 दिनांक 18.04.1996 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 02.02.2001 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र को रिस्टोर कराने हेतु प्रार्थी द्वारा पुनः एक बाजवा प्रार्थना पत्र संख्या 11/2001 दिनांक 03.03.2001 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 17.03.2001 को स्वीकार किया जाकर, मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18.03.2004 को मूल अपील पुनः अदम हाजरी एवं शेष रैस्पो0 की बार–बार मौके दिये जाने के उपरान्त तामील नहीं कराये जाने के कारण अदम तामील में खारिज हुयी। उक्त अपील को पुनः रिस्टोर कराने हेतु प्रार्थी ने बाजवा प्रार्थना पत्र संख्या 47/2005 दिनांक 15.09.2004 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र भी दिनांक 27.09.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र को रिस्टोर कराने हेतु प्रार्थी द्वारा हस्तगत बाजवा प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 दिनांक 19.08.2019 को लगभग 03 साल बाद की देरी से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रकरण की पैरवी उनके पिता गोला करते थे। जिनका देहान्त सन् 2008 में हो गया। अतः प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं थी। किसी भी प्रकार तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि बाजवा प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 दिनांक 19.08.2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् 11 वर्ष तक की सुदीर्घ अवधि तक प्रकरण का न्यायालय में विचाराधीन रहना एवं प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी ना होने का कथन सत्यभाषी नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी एवं उनके पिता अपनी अपील एवं प्रार्थना पत्रो के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं। अपनी स्वयं की उदासीनता के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। लिहाजा प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम किया जावें एवं मूल अपील के संलग्न रहे।

भू प्रबन्ध अधिकारी
परेन
अपील प्राधिकारी